"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110] रायपुर, शनिवार, दिनांक 2 अप्रैल 2011—चैत्र 12, शक 1933

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

आदेश

क्र. 2494/828/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 191/II-2-17/2001/गोपनीय/2010 बिलासपुर, दिनांक 13-04-2010 के अनुपालन में श्री लाखन सिंह, सदस्य उच्च न्यायिक सेवा की सेवाएं इस विभाग के आदेश क्रमांक 3795/D-1057/XXI-B/C.G./2010 रायपुर, दिनांक 20-04-2010 के द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई थी. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश क्रमांक 242/II-2-1/2011/गोपनीय/2011 बिलासपुर, दिनांक 29 मार्च 2011 के अनुपालन में श्री लाखन सिंह, रजिस्ट्रार, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, रायपुर की सेवाएं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को वापस सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.